भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1900

जिसका उत्तर 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक) को दिया गया

एबीजी शिपयार्ड्स द्वारा बैंक धोखाधड़ी

1900. श्री हनुमान बेनीवाल
श्री दीपक बैज
श्री एंटो एन्टोनी
श्री हेमन्त पाटिल
श्री असादुद्दीन ओवैसी

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैं. एबीजी शिपयार्ड्स द्वारा भारतीय बैंकों के इतिहास में हाल ही में की गई सबसे बड़ी, लगभग 23000 करोड़ रुपये की बैंकिंग धोखाधड़ी की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच की और इस संबंध में जिम्मेदारी तय की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई जांच का ब्यौरा और इसके बैंक-वार परिणाम क्या हैं;

(ड.) धोखाधड़ी की सूचना देने और आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा धनराशि की वसूली और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (च): बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, मेसर्स एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड (एबीजीएसएल) को आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में सहायता संघ व्यवस्था के तहत ऋण सुविधाएं स्वीकृत की गई हैं। ऋणदाता बैंकों द्वारा दिनांक 1.8.2013 और उसके बाद खाते को गैर-अनर्जक आस्ति के रूप में घोषित किया गया था, और सीडीआर अधिकार प्राप्त समूह द्वारा दिनांक 24.03.2014 को कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) तंत्र के तहत ऋण सुविधाओं को पुनर्गठन के लिए अनुमोदित किया गया था। इसके बाद, संयुक्त ऋणदाताओं की बैठक (जेएलएम) में सदस्य बैंकों ने एबीजीएसएल में फोरेंसिक लेखा परीक्षा करने के लिए अर्न्स्ट एंड यंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (ईवाई) को नियुक्त करने का निर्णय लिया। ईवाई ने दिनांक 21.1.2019 को अपनी फोरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एफएआर) प्रस्तुत की। तदनुसार, एफएआर के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, लीड बैंक द्वारा दिनांक 25.4.2019 को एबीजीएसएल के खाते में 14,349 करोड़ रुपये के मूलधन और उस पर अर्जित ब्याज को धोखाधड़ी घोषित किया गया था।

इसके अलावा, दिनांक 8.11.2019 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद, दिनांक 17.1.2020 को आयोजित जेएलएम में यह निर्णय लिया गया कि एसबीआई सहायता संघ के सभी सदस्यों की ओर से शिकायत दर्ज

कराए। तदनुसार, दिनांक 25.8.2020 को अंतिम अधिदेश प्राप्त होने के साथ सभी बैंकों से जनादेश प्राप्त किया गया था। एसबीआई ने दिनांक 25.8.2020 को सीबीआई के पास संशोधित शिकायत दर्ज कराई और आगे के विचार-विमर्श के आधार पर दिनांक 14.12.2020 को अंतिम शिकायत दर्ज कराई गई। सीबीआई ने दिनांक 7.2.2022 को कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है।

इसके अलावा, अग्रणी बैंक ने एबीजीएसएल की कॉर्पोरेट दिवालियापन और समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में भी आवेदन दायर किया था, जिसे दिनांक 1.8.2017 को स्वीकार किया गया था। इसके बाद, एनसीएलटी द्वारा दिनांक 25.4.2019 को एबीजीएसएल के लिए परिसमापन आदेश पारित किया गया था।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैंकों द्वारा बकायों की वसूली के लिए कई उपाय किए गए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ऋण वसूली अधिकरण में वसूली वाद दायर करना, प्रवर्तकों/गारंटीदाताओं के विरुद्ध लुक आउट-परिपत्र जारी करना, व्यक्तिगत गारंटीदाताओं के विरुद्ध दिवालियापन कार्यवाही शुरू करने के लिए आवेदन दिया जाना और कंपनी और उसके निदेशकों को इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित करना शामिल है।

प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, सीबीआई द्वारा दिनांक 7.2.2022 को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार धोखाधड़ी में शामिल बैंक/संस्था-वार राशि, अनुलग्नक में दी गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों की जवाबदेही तय की गई है और एनपीए के बाद कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच/धोखाधड़ी के बाद कर्मचारियों की जवाबदेही की पुन: जांच में उक्त धोखाधड़ी में किसी स्टाफ की चूक/कर्मचारी की संलिप्तता नहीं पाई गई है।

*****

एबीजी शिपयार्ड द्वारा बैंक धोखाधड़ी के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1900 के संदर्भ में अनुबंध

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज दिनांक 7.2.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के अनुसार धोखाधड़ी का विवरण

बैंक का नाम	धोखाधड़ी में अंतर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपए में)
आईसीआईसीआई बैंक	7,089
आईडीबीआई बैंक	3,639
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)	2,925
बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी)	1,614
पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी)	1,244
ई-ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अब पीएनबी)	714
एक्ज़िम बैंक ऑफ़ इंडिया	1,327
इंडियन ओवरसीज बैंक	1,228
बैंक ऑफ इंडिया	719
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	743
केनरा बैंक	40
ई-सिंडिकेट बैंक (अब केनरा)	408
एसबीआई, सिंगापुर	458
ई-देना बैंक (अब बीओबी)	406
ई-आंध्र बैंक (अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)	350
एसबीएम बैंक	125
भारतीय जीवन बीमा निगम	136
डीसीबी बैंक	106
पीएनबी इंटरनेशनल	97
ई-लक्ष्मी विलास बैंक (अब डीबीएस बैंक)	61
इंडियन बैंक	60
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	39
पंजाब एंड सिंध बैंक	37
यस बैंक	2
सिकॉम लिमिटेड	260
आईएफसीआई लिमिटेड	300
फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (एसआईबी)	141

स्रोत: प्रवर्तन निदेशालय

*****